झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

आ0आ0सं–04 / यो0बजट–65 / 2015– 35/आ० व0प0 राँची, दिनांक :– 16.6.2015

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :– वन विभागीय पत्रांक 4 / यो0बजट–65 / 2015–06 / स्वी० व0प0 दिनांक–12.06.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क) को अनुदान (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अन्तर्गत 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तद्नुसार उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न वर्णित लघुशीर्ष अंतर्गत / इकाईवार कुल 50.00 लाख (पचास लाख) रुपये मात्र की राशि आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख रुपये में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि	वर्त्तमान आवंटित राशि
1	झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना	79–सहायता अनुदान सामान्य इकाई	19P240601796540679	50.000	50.000	50.000
कुल राशि				**50.000**	**50.000**	**50.000**

ऑन–लाईन आवंटन की प्रति संलग्न है।

3. प्रासंगिक व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 में झारखण्ड उद्यान समिति (झारपार्क्स) के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्यप्राणी, उप मुख्य शीर्ष–01–वानिकी, लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष–54 झारपार्क्स को अनुदान योजना अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनांतर्गत राशि का उप आवंटन आवंटित राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।

5. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक–17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी–पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस योजनान्तर्गत आवंटित कुल राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा। यह राशि पी०एल० खाता में संधारित की जाएगी।

7. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा–निर्देशों का ससमय अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।

8. इस राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या–301 दिनांक–11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

अनु०–यथोक्त।

16.6.15
(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

35/अ०
16.6.2015

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

FOREST & ENVIRONMENT DEPARTMENT

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 4/YB-65/15/35A

दिनांक - 16-Jun

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601796540679 2406 . वानिकी तथा वन्य जीवन 01 . वानिकी 796 . जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना 54 . झारपार्क को अनुदान योजना 06 . अनुदान 79 . सहायता अनुदान सामान्य (गैर-वेतन)	43155	DRNFWL056 SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI	5,000,000.00 रुपये पचास लाख

योग: 5,000,000.00

आंकिक योग: रुपये पचास लाख

16.6.15

(ARUN KUMAR SINGH)

PRINCIPAL SECRETARY

 172.16.20.1 Run Date : 16/6/2015